झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक – 95 /रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

सेवा में,

उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक),
दामोदर वैली कारपॉरेशन,
कोलकत्ता।

लातेहार, दिनांक–31/01/2019

विषयः– **लातेहार जिला अंतर्गत तुबेद कोल ब्लॉक हेतु 134.34 एकड़ (54.365 हे0) वन भूमि एवं 266.94 एकड़ (108.029 हे0) जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) के रूप में अंकित भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति के संबंध में।**

प्रसंगः– उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक), दामोदर वैली कारपॉरेशन का पत्रांक–970, दिनांक–11.12.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर का पत्रांक–27, दिनांक–10.01.2019 द्वारा 266.94 एकड़ (108.029 हे0) जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि का सशर्त सैद्धांतिक अनापत्ति दी गई है। छायाप्रति संलग्न।

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, लातेहार के कार्यालय से निर्गत संख्या–21, दिनांक–22.12.2018 द्वारा 134.34 एकड़ (54.365 हे0) वन भूमि एवं 266.94 एकड़ (108.029 हे0) जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि का वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति निर्गत की गई है। छायाप्रति संलग्न।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

ज्ञापांक–95/रा0, दिनांक–31/01/2019

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार को आपका पत्रांक–2264, दिनांक–13.12.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/1/19

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।

KJ08257009 41N

आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 27 /

प्रेषक,

आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक 10.01.2019 /

विषय :– **लातेहार जिलान्तर्गत अंचल–लातेहार में मेसर्स डी0भी0सी0 के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 1385/रा0 दिनांक 22.12.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिलान्तर्गत अंचल–लातेहार में मेसर्स डी0भी0सी0 के तुबेद कोल माईन्स परियोजना के अंतर्गत पड़ने वाली कुल 266.94 एकड़ गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई है। प्रतिवेदनानुसार वर्णित भूमि अनाबाद बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल–झाड़ी है, जो अधिसूचित वन सीमा क्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न भूमि गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी के रूप में प्रतिवेदित है :–

लातेहार अंचल अंतर्गत मेसर्स डी0भी0सी0 के तुबेद कोल माईन्स परियोजना

क्रम सं0	ग्राम	थाना नं0	खाता संख्या	प्लौट सं0	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	3	4	5	6	7	8
1.	मंगरा	330	25	03	11.20	गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी
				06	7.99	
				10	4.31	
				13	6.37	
				17	0.87	
				19	0.30	
				22	0.66	
				28	1.23	
				29	1.01	
				76	1.66	
				80	1.20	
2.	तुबेद	333	30	6	0.03	गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी
				12	0.24	
				17	4.53	
				293	7.35	
				467	15.00	
				513	4.54	
				536	10.80	
				538	1.35	
				545	1.74	
				548	0.09	
				552	0.56	

3.	डीही	334	91	14	0.01	गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी
				15	0.55	
				22	4.03	
				24	12.15	
				25	11.40	
				28	2.23	
4.	धोबियाझारन	336	43	3	1.43	गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी
				19	0.68	
				24	5.32	
				33	0.42	
				35	0.14	
				38	0.02	
				40	0.06	
				43	0.17	
				46	0.41	
				48	0.52	
				50	3.65	
				56	6.15	
				62	1.07	
				70	1.14	
				79	0.03	
				82	7.92	
				103	1.80	
				105	8.66	
				167	1.70	
				184	0.12	
				196	0.09	
				199	0.10	
				205	0.23	
				208	0.04	
				213	0.04	
				227	0.05	
				229	0.09	
				231	0.03	
				232	0.02	
				238	0.12	
				291	10.50	
				293	11.70	
				352	9.46	
				335	3.40	
5.	अम्बाझारन	335	1	1	51.65	गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी
				2	11.60	
				130	8.68	
				134	4.33	
कुल रकबा					**266.94 एकड़**	

कुल रकबा **266.94** एकड़ गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व विभागीय संकल्प सं0–1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश निर्गत नहीं कर दिया जाय।

3. उपायुक्त, लातेहार द्वारा भूमि के हस्तांतरण से पूर्व स्थल जांच करायी जाय तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाय।

विश्वासभाजन,

10/1/19

आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 47 दिनांक 19/01/2019

प्रतिलिपि:– मै० उप मुख्य अभियंता (यांत्रिक) दामोदर वैली कॉरपरेशन (DVC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
लातेहार।
19.1.19